XII–189 (जेल) सी.जे.पी.आर 9–94

कैदी की अपील

क्र. दण्डित बंदी क्र. 847/57 नाम जीवन
पिता का नाम दुलारीराम
निवास मुकाम– सोढर, थाना– जरहागांव, जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश) उम्र 35 वर्ष
सजा आजीवन कारावास को 31.03.1998
धारा के अंतर्गत धारा 302 भा.द.वि द्वारा VI A5J बिलासपुर (म.प्र.)

कैदी को समझाया गया कि यदि वह कहता है कि वह किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो अपीलीय न्यायालय सात दिनों तक मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि विधिक प्रतिनिधि पहले पेश न हो जाए। यदि विधिक प्रतिनिधि सात दिनों के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती है यदि कैदी यह कहता है कि वह विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहता है तो न्यायालय मामले को तुरन्त आगे बढ़ा सकता है तथा मेरे विधिक प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य नहीं होगा जो उपस्थित होना चाहिए।

1. निर्णय की प्रति के लिए आवेदन की तिथि _____
2. प्रति प्राप्त होने की तिथि _____
3. अपील भेजने की तिथि 02.06.1998
4. क्या कैदी प्रतिनिधित्व करना चाहता है या नहीं हाँ

क्र. दण्डित बंदी क्र. 847/57 नाम जीवन पुत्र दुलारी राम
जेल में निरूद्ध _____ जेल _____
क्र. _____ दिनांक 02.06 1998
अग्रेषित किया गया रजिस्ट्रार महोदय, माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर (मध्यप्रदेश)
मामले में पारित निर्णय या आदेश की एक प्रति के साथ उचित अपीलीय न्यायालय को प्रेषित करने के पक्ष में।

अधीक्षक
जेल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्राप्ति की तिथि _____ कार्यालय _____
संलग्न अभिलेख प्राप्ति की तिथि _____
अपील न्यायालय में अपील का ज्ञापन _____
क्र. _____ दिनांक _____ 199_____
_____
अग्रेषित किया गया _____
अपील न्यायालय में प्राप्ति की तिथि _____

(कृ.पृ.उ.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्र. 1394/1998
जीवन
बनाम
मध्य प्रदेश राज्य
(वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

विचारार्थ निर्णय

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
19–9–2005

माननीय श्री न्यायमूर्ति फखरुद्दीन

सही/– फखरुद्दीन
न्यायाधीश 19–9–2005

26–09–2005 **के लिए सूचीबद्ध**
सही/–
फखरुद्दीन
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्र. 1394/1998
जीवन
बनाम
मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

कोरम :– माननीय श्री फखरुद्दीन, न्यायमूर्ति व
माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

सुश्री सोफिया खान, अपीलकर्ता की अधिवक्ता
श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से।

निर्णय

(दिनांक 26.09.2005 को दिया गया)

न्यायमूर्ति दिलीप रावसाहेब देशमुख, के अनुसार

यह अपील सत्र परीक्षण क्रमांक 73/1996 में श्री जे.के.वर्मा, 6 वें अतिरिक्त न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 31 मार्च 1998 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलकर्ता को दिनांक 25.04.1988 को सायं लगभग 5–6 बजे ग्राम भिलाई, पुलिस स्टेशन तखतपुर में अपनी दादी संतन बाई की हत्या करने के लिए धारा 302 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था तथा आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया था ।

2. यह विवादित नहीं है कि नरेश कुमार अ.सा.5 अपीलकर्ता का भतीजा है। फिरनमती अ.सा.3 अपीलकर्ता की मां है।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 25.04.1988 को सायं लगभग 5–6 बजे ओमकार पटेल नामक व्यक्ति चप्पल सिलवाने के लिए मोची के पास गया था। अपीलकर्ता ने काम करने से मना कर दिया और ओमकार पटेल के साथ दुर्व्यवहार किया। इस पर, अपीलकर्ता के भतीजे नरेश कुमार अ.सा.5, ने अपीलकर्ता से पूछा कि उसने ओमकार पटेल की चप्पल क्यों नहीं सिली। अपीलकर्ता नाराज हो गया और नरेश कुमार को गाली देने लगा, उसे हाथ और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। हाथापाई हुई। अपीलकर्ता आंगन की ओर भागा, बबूल का डंडा उठाया और नरेश अ.सा.5 पर हमला करने ही वाला था कि फिरनमती अ.सा.3, अपीलकर्ता की मां ने हस्तक्षेप किया। अपीलकर्ता ने उसके दोनों हाथों में डंडे से हमला किया। फिरनमती भाग गई। अपीलकर्ता नरेश अ.सा.5 पर हमला करने के लिए गया। नरेश भी भाग गया। अपीलार्थी की दादी संतन बाई ने अपीलार्थी को मारपीट न करने को कहा, जिस पर अपीलार्थी उसके घर में घुस आया और उसे गाली देते हुए उसके सिर पर डंडे से एक वार किया। संतन बाई बेहोश हो गई और उसके सिर से खून बहने लगा। रात में उसकी मौत हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. गेंदूलाल अ.सा.6 ने प्र.पी.3. के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई। एस.एच.ओ. एम.बी. पांडे मौके पर पहुंचे और प्र.पी.8 के तहत जांच का ज्ञापन तैयार किया। उन्होंने प्र.पी.9 के तहत मौके से खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी जब्त की। उन्होंने प्र.पी.10 के तहत मौके से एक बबूल का डंडा भी जब्त किया। मृतका के खून से सने कपड़े प्र.पी.4 के तहत जब्त किए गए। फिरनमती अ.सा.3 को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। डॉ.बी.के. सोनी अ.सा.1 ने प्र.पी .1 के अनुसार उसके दाहिने कंधे, दाहिने कलाई और दाहिने कोहनी पर चोट के निशान पाए । डॉ. हबीब अ.सा.2 ने 26.4.1988 को संतन बाई के शव का पोस्टमार्टम किया और खोपड़ी के पार्श्विका पश्चकपाल क्षेत्र में बाईं ओर 2 इंच x त्वचा की गहराई में एक कटा हुआ घाव पाया, जो मध्य रेखा के पास था और नीचे 4 इंच लंबाई में एक दरारदार फ्रैक्चर था, जो मध्य रेखा से कान की ओर बाईं ओर पेरिटो–टेम्पोरल क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था, जो खोपड़ी की हड्डी

के बाहरी और आंतरिक भागों को प्रभावित कर रहा था और चारों ओर रक्त के थक्कों से ढका हुआ था। एक्स्ट्रा–ड्यूरल और सब–ड्यूरल रक्तस्राव और द्रवीभूत रक्त के थक्के मौजूद थे। उनकी राय में, चोट एक भारी, कठोर और कुंद वस्तु के कारण खोपड़ी फट गयी थी, खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर के साथ बाहरी और आंतरिक रक्तस्राव हुआ था, उनकी राय में, संतन बाई की मृत्यु संभवतः रक्तस्रावी सदमे से हुई होगी और चोट प्रकृति में हत्या करने वाली प्रतीत होती है।

5. घटना के बाद अपीलकर्ता फरार हो गया। उसकी अनुपस्थिति में 12.9.1988 को चालान दाखिल किया गया। अपीलकर्ता को घटना के लगभग आठ वर्ष बाद 17.1.1996 को गिरफ्तार किया गया। अपीलकर्ता पर धारा 302 भा.द.वि के तहत मुकदमा चलाया गया। अपीलकर्ता ने दोष से इनकार किया, खुद को निर्दोष बताया और बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों की जांच की। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने डॉ. हबीब अ.सा.2 के मेडिकल साक्ष्य और नरेश अ.सा.5, श्रीमती निर्मला अ.सा.4 और गेंदुलाल अ.सा.6 की आंखों से देखी गई गवाही पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता को धारा 302 भा.द.वि के तहत दोषी ठहराया और उसे उपरोक्त सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष विधिक और विश्वसनीय साक्ष्यों के द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 302 भा.द.वि. के तहत आरोप को साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि चिकित्सा साक्ष्य सकारात्मक रूप से यह नहीं दर्शाते हैं कि संतन बाई को लगी चोट के कारण मृत्यु हुई थी। डॉ. हबीब अ.सा.2 ने अपनी शवपरीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया है कि संतन बाई को लगी चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता का संतन बाई की मृत्यु का कारण बनने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, जो अपीलकर्ता की दादी थीं। यह घटना अचानक आवेश की स्थिति में घटित हुई । अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल की गई छड़ी बहुत छोटी थी जैसा कि, जब्ती ज्ञापन प्र पी.10 में वर्णित छोटी लकड़ी (छड़ी) का उल्लेख किया गया है । 2005 में रिपोर्ट किए गए थंगैया बनाम तमिलनाडु राज्य **क्रि.एल.जे.684 और 2005** में रिपोर्ट किए गए रवि कुमार बनाम पंजाब राज्य **क्रि.एल.जे.1742** का अवलंब लेते हुए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया कोई भी अपराध, यदि कोई हो, तो भा.द.वि. की धारा 304 भाग–II से ज्यादा नही है। अपीलकर्ता 12.09.1998 से अर्थात् 8 साल की अवधि के लिए जेल में था। संतन बाई के सिर पर केवल एक ही चोट लगी थी। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा पहले से काटी गई हिरासत की सजा को धारा 302 भा.द.वि. से धारा 304 भाग–II में परिवर्तित करते हुए अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आरोपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया है कि एक वृद्ध महिला के सिर पर लाठी से हमला करने के लिए धारा 302 भा.द.वि के तहत संतन बाई की मौत का कारण बनने के लिए अपेक्षित इरादे को सुरक्षित रूप से अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

7. हमने प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार किया है। हमने विचारण न्यायलय के अभिलेख को भी देखा है। फिरनमती अ.सा.3 जो अपीलकर्ता की माँ है, ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। नरेश अ.सा.5 और श्रीमती निर्मला अ.सा.4 ने गवाही दी है कि अपीलकर्ता ने संतन बाई के सिर पर तीन बार लाठी से हमला किया था। हालाँकि, डॉ. हबीब अ.सा.3 के चिकित्सा साक्ष्य के मद्देनजर यह प्रत्यक्ष गवाही अतिरंजित प्रतीत होती है, जिन्होंने संतन बाई की खोपड़ी पर एक ही चोट पाई थी। हमने श्रीमती निर्मला अ.सा.4 और नरेश अ.सा.5 की गवाही का अध्ययन किया है और पाया है कि अपीलकर्ता द्वारा संतन बाई के सिर पर लाठी से हमला करने के मामले में यह विश्वसनीय है। संतन बाई पर जानलेवा हमले में अपीलकर्ता की मिलीभगत इस तथ्य से भी परिलक्षित होती है कि घटना के तुरंत बाद आरोपी आठ साल की लंबी अवधि के लिए फरार हो गया था। श्रीमती निर्मला अ.सा.4 और नरेश अ.सा.5 की गवाही की पुष्टि डॉ. हबीब अ.सा.2 के चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गयी और जिरह में इसका खंडन नहीं किया जा सका। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद, हमारे विचार से यह राय है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने सही निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता ने संतन बाई के सिर पर लाठी से हमला किया जो उसकी मृत्यु का कारण बना।

8. हमारे विचार के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि अपीलकर्ता ने क्या अपराध किया है। यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में जहां केवल एक वार किया गया हो, धारा 300 भा.द.वि का अपवाद 4 लागू होगा। इस्तेमाल किया गया हथियार, हथियार का आकार, हमले के लिए जिम्मेदार तथ्य, शरीर का वह हिस्सा जहां चोटें पहुंचाई गईं, ये सभी प्रासंगिक कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। थंगैया बनाम तमिलनाडु राज्य में 2005 में रिपोर्ट की गई **क्रि.एल.जे.684** में यह माना गया कि जहां मृतक को मंद रोशनी वाले स्थान पर एक छोटी सी छड़ी से घातक वार किया गया था, वह मामला भा.द.वि की धारा 304 भाग–I के तहत आता है और 10 साल की हिरासत की सजा दी गई थी। वर्तमान मामले में भी जब्ती ज्ञापन प्र.पी.10 से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने बांस के पेड़ की एक छोटी शाखा से संतन बाई पर हमला किया था, जिसकी लंबाई लगभग 2 फीट और व्यास 2 इंच था। अपीलकर्ता का संतन बाई की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था और उसने उस पर तब हमला किया जब नरेश अ.सा.5 के साथ झगड़ा गंभीर रूप ले चुका था और वह उस पर हमला करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। नरेश अ.सा.5 के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि जब अपीलकर्ता की मां फिरनमती, ने अपीलकर्ता को उसे पीटने से रोका था, तो उसने फिरनमती पर लाठी से हमला किया था। हालांकि अ.सा.5 ने कहा कि अपीलकर्ता की मां फिरनमती ने अपीलकर्ता को उसे पीटने से रोका था, लेकिन उसने फिरनमती पर लाठी से हमला किया। फिरनमती अ.सा.3, अपीलकर्ता की मां होने के नाते, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती है, फिर भी डॉ. सोनी अ.सा.1 की गवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 26.4.1988 को उन्होंने फिरनमति के शरीर पर चार चोट के निशान पाए थे। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता गुस्से में था और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर रहा था। डॉ. हबीब अ.सा.2 ने संतन बाई की खोपड़ी पर एक ही चोट पाई, जैसा कि पैराग्राफ–4 (पूर्वोक्त) में विस्तृत है। शव परिक्षण रिपोर्ट में प्र.पी.2 डॉ. हबीब ने उल्लेख नहीं किया है कि चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। उनके द्वारा कोई सकारात्मक राय व्यक्त नहीं की गई कि संतन बाई की मृत्यु उसके द्वारा लगी चोट के परिणामस्वरूप हुई थी। **राम प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य** के मामले में **1998** में रिपोर्ट की गई **क्रि.एल.जे.1622** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे मामले में जहां चोट अचानक झगड़े के कारण लगी थी और चिकित्सा साक्ष्य यह नहीं बताते थे कि चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, अभियुक्त को धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए, न कि धारा 302 भा.द.वि के तहत।

9. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, घटना के तरीके और परिणाम, हमले का हथियार एक छोटी सी छड़ी होना, संतन बाई की मौत के कारण के बारे में किसी भी सकारात्मक राय का अभाव और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा एक छोटी सी छड़ी से एक ही वार किया गया था, हम इस राय पर पहुँचे हैं कि संतन बाई की मौत का कारण बनने के लिए अपेक्षित इरादे को अपीलकर्ता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, हालाँकि यह ज्ञान कि चोट से वृद्ध महिला की मृत्यु होने की संभावना है, अपीलकर्ता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध सीधे तौर पर भा.द.वि की धारा 304 भाग II के अंतर्गत आता है। **रवि कुमार बनाम पंजाब राज्य, 2005** में रिपोर्ट की गई **क्रि.एल.जे.1742** में जहां अपीलकर्ता ने मृतक के सिर पर एक धांगू नामक कठोर और कुंद वस्तु से दो वार किए थे, जिससे खोपड़ी के दाहिने हिस्से पर एक चीरा हुआ घाव हो गया था और ओसीसीपिटल फ्रंटल क्षेत्र पर सूजन आ गई थी, अपीलकर्ता को भा.द.वि. की धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया गया था और आठ साल की हिरासत का दण्डादेश दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. परिणामस्वरूप, अपील को स्वीकार किया जाता है। धारा 302 भा.द.वि. के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और उसके तहत दिए गये दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर अपीलकर्ता को भा.द.वि. की धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, चूंकि अपीलकर्ता 12.09.1998 से जेल में है, अर्थात् आठ साल से अधिक समय से, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा पहले ही काटी गई हिरासत की सजा, हमारी राय में, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

हम तदानुसार आदेश देते हैं। यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अपीलकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाए।

सही /-
फखरुद्दीन
न्यायाधीश
26.09.2005

सही /-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
26.09.2005

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur